न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.95 / 2020 दिनांक 28.2.2020

सरकार बनाम ब्रह्मप्रकाश वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 12/992/1.07 है0 किस्म बारानी मेंसे 1.07 है0पर ब्रह्मप्रकाश, श्रीभगवानं, तेजकुमार पुत्र रोहिताश जाति चमार निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली ने गैहूँ की फसल कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये। परन्तु कोई जबाब दस्तावेजात पेश नहीं किये गये।

अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायलान ब्रह्मप्रकाश , श्रीभगवान , तेजकुमार पुत्र रोहिताश जाति चमार निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 12/992/1.07 है0 किस्म बारानी मे से 1.07 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा कास्त की गई गैंहूँ की फसल को कब्जेराज लिया जाकर गैंहूँ की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 4.25 रू. का पचास गुणा 213 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 28.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Scanned by CamScanner